मासिक बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 08.04.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार कलक्ट्रेट स्थित सभागार में अपरान्ह 11:00 बजे राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहेः–

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा।
2. उप जिलाधिकारी/ एटा/ अलीगंज/जलेसर।
3. तहसीलदार, एटा/अलीगंज/जलेसर।
4. जिला आबकारी निरीक्षक, एटा।
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एटा।
6. प्रशासनिक अधिकारी, एटा।
7. ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एटा।
8. न्याय सहायक, राजस्व सहायक, ई0आर0के0,सी0आर0ए0, नाजिर सदर, लोक शिकायत, आर0आर0के0, राजस्व सहायक–1, टी0ए0सी0, डी0एल0आर0सी0, मुख्यमंत्री सन्दर्भ लिपिक, एल0आर0सी0, जे0आर0के0, वित्त लिपिक, आयुध लिपिक।

बैठक में सर्वप्रथम समस्त सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि कार्यवृत्त का अनुपालन समयान्तर्गत किया जाय तथा उसका अनुश्रवण सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उक्त बैठक में राजस्व एवं अन्य कार्यो में प्रभावी प्रगति लाये जाने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1. समस्त उप जिलाधिकारी को राशन के कोटेदारों के प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि मेरे द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बैठक की जा चुकी जिसका विस्तृत कार्यवृत्त भी निर्गत किया जा चुका है। अतः कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही करें।

क. राशन वितरण में हो रही धांधली के सम्बन्ध में बैठक में निर्देश दिये गये कि पात्रों को राशन मुहैया कराया जाय। सूची में अपात्र व्यक्ति मिलता है तो सत्यापन अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। राशन की सूची में खामियों को दूर करने के लिए 790 राशन की दुकानों के पात्र लाभार्थियों के सत्यापन के लिए 460 सत्यापन अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो एक सप्ताह के अन्दर सूची का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सूची में शामिल अपात्रों के नाम तत्काल काटे जाये। सत्यापन अधिकारी डो–टू–डोर सत्यापन करें। राशन से सम्बन्धित प्रत्येक मामला इस माह के अन्त तक प्रत्येक दशा में क्लोज हो जाना चाहिए।

ख. कोटे की दुकानों के सम्बन्ध में बैठक में निर्देश दिये गये कि दुकानों की सूची/बैंक खाता को सौ प्रतिशत नही दिखाया जा रहा है, जिसको एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।